

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,  
Dated 7<sup>th</sup> June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/Chail

Dated Shimla-2, the 7<sup>th</sup> June, 2013

**NOTIFICATION**

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No..FFE-B-F(6)-25/99 dated 23<sup>rd</sup> October 1999, to declare **Chail as Wildlife Sanctuary** comprising of an area of 109 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7<sup>th</sup> May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Chail Wildlife Sanctuary, out of actual ground area of 108.53 sq. km, 92.53 sq. km area is hereby denotified (comprising of 84 villages List attached as Annexure-I including Chail main bazaar comprising an area of 141 kitas measuring 3-06-86 ha of Sakori Reserve Forest R-18 Compartment No.2 B as Chak). The remaining area of 16.00 sq. km (108.53 sq. km – 92.53 sq. km) shall constitute the Chail Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the remaining area of 16.00 sq. km as '**Chail Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.;

The limits of Chail Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Chail Wildlife Sanctuary
1.	<b>Chail Wildlife Sanctuary</b>	i) Solan & Shimla ii) Shimla (WL) Division	<b>NORTH:</b> Boundary starts from boundary pillar No 22 of Binu RF/23 and turns to right side then follows the boundary passing through boundary pillar No 21 near point 1955 mtr. & 2139 mtr. which situated on Shimla & Solan District boundary-cum-Forest Divisional Boundary of Shimla & Solan Division, then follows the same District –cum-Forest Divisional boundary via Sakori RF/2 through BP No. 53,52,51,50,49 and right side near B.P. No 49. Further boundary moves the small tributary of nalla up stream upto road and across the road and joins at meeting point of the various roads near point 2230 mtr. then along road leading to RH (MES) then follows the small ridge down upto B.P. No 4 of Bhojdin RF/25 and via B.P. 5,6,7, up to 8. Then moves down upto a small tributary of nalla-cum-outer boundary of village Deatk via B.P. 4 up to B.P. 3 of Malan shil PF/89.

		<p><b>EAST:</b> From boundary pillar No 3 of Malan shil PF/89 boundary routes through the BP No-2, 1B, 1A &amp; 1 up to District-cum-Forest Divisional boundary then turns to left side and passes via BP No-5 to 32 of Bhojdin PF / 89. Then along the branch of a small nalla flowing from point 2061mtr. up to road and follows the road upto BP No 29 of Bhojdin RF/25 and then along B.P No-30 up to 36.</p> <p><b>SOUTH:</b> From boundary pillar No. 36 of Bhojdin RF/25 boundary goes via B.P No. 37 to 46 near point 2176 mtr. and follows the ridge near Hinnar plantation and turns to left side in a small tributary of nalla upto a crossing point of a foot path from Hinner village to Karog village. Then follows the same path to left side up to a ridge boundary of Jhanjha kharion PF/88 now turns to left side and follows the boundary of Jhajha Kharion PF/88 up to B.P. No-17. Now boundary turns to left side from the point between BP. No 17 and 16 the crossing of 1700 mtr. contour and then follow the 1700 mtr. Contour up to a small tributary of nalla which originates near B.P. No-6 of Jhanjha Kharion PF/88 and follows the same tributary of nalla up stream upto B.P. 6 of Jhanjha Kharion PF/88.</p> <p><b>WEST:</b> From the point of B.P. No. 6 of Jhanjha Kharion PF/88 boundary moves via B.P. No. 5,4,3,2, and up to road before B.P. No-1 and follows the road upto B.P. No-3 of Kharion RF/21 in nalla then along the tributary of small nalla down stream up to its confluence with main nalla just below Kahala village. Then follows the nalla up stream up to confluence point of tributary of same nalla which flows right side and originate from near B.P. 30 of Jhanjha Kharion PF/88. Then follows the same tributary of nalla up to B.P. No. 30 of Jhajha Kharion PF/88 further boundary</p>
--	--	---

			<p>passess through BP No. 24 to 1 of Sakori RF/24 and then follows the left side boundary of Binnu RF/23 via 13 Nos of B.P. without nos then along B.P. No. 56, 54, 53 upto B.P. No. 22 of Binu RF/23.</p> <p>Boundary as per scale 1:15000</p>
--	--	--	---

This area is situated within the Geo-coordinates **North Lat. 31°00'15" N & Long. 77° 11'45"E East Lat. 30° 57' 45" N & Long. 77° 14' 21"E South Lat. 30° 55' 44" N & Long. 77°12'15" E West Lat.30°57'28" N & Long. 77°09'47"E**, which falls on Survey of India topo sheet No. 53F/1 & 53E/4 scale 1:50,000 and 53F/1/NE & 53E/4 /SE on scale 1:15000 .

**Area of Chail Wildlife Sanctuary 16 sq. km**


By Order

Principal Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above  
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7<sup>th</sup> June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

  
Under Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Area to be excluded from Wildlife Sanctuary, Chail

Sr.No.	Name of Village
1.	Kotla
2.	Kamali
3.	Chambi
4.	Malansheel
5.	Dehraduhai
6.	Faneoti
7.	Parthana
8.	Shillari
9.	Lakhoti
10.	Noun
11.	Dubloo
12.	Balog
13.	Nihara
14.	Dhar-ki-ser
15.	Tharola
16.	Binnoo
17.	Nirudh
18.	Shillai
19.	Anji
20.	Kinna
21.	Dharooti
22.	Banjni

23.	Sakori
24.	Barech
25	Dunoo
26	Dunti
27	Sonaghat
28	Choki
29	Pujarli
30	Shildoo
31	Daryana
32	Dochi
33	Poash
34	Choura
35	Anji-II
36	Kedla
37	Ghren
38	Gehnti
39.	Teltu
40	Jajha
41	Kheroyan
42	Chabri
43	Karon
44	Kora
45	Shakog
46	Mahog
47	Kathla

48	Kot
49.	Nehar
50	Chail, Bazar (Chak)
51	Nagali
52	Jadhiyal
53	Jethna
54	Badheot
55	Tikker
56	Bagedh
57	Gehva
58	Mahori
59	Kanoo
60	Hukkel
61	Mehani
62	Siauia
63	Dangil
64	Jakhed
65	Dandhar
66	Bakhor
67	Banner
68	Katel
69	Bhoria
70	Kharnaji
71	Chobb
72	Karog

73	Noohra
74	Kurgal
75	Takrana
76	Deher
77	Naog
78	Gaura
79	Rehad
80	Chagaon
81	Hinner
82	Kanori
83	Duranji
84	Tikkeri



हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II चायल तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-25/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा 109.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र चायल को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और चायल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मौके पर भू-क्षेत्र 108.53 वर्ग किलोमीटर में से 92.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (चक के रूप में सकौड़ी आरक्षित वन आर-18 कम्पार्टमेंट न0 2 बी के 141 किता मापन 3-06-86 है0 क्षेत्र से समाविष्ट मुख्य बाजार चायल सहित उपाबन्ध-1 के अनुसार संलग्न 84 गांवों की सूची में समाविष्ट) को अभ्यारण्य से निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् 16.00 वर्ग किलोमीटर (108.53 वर्ग किलोमीटर -92.53 वर्ग किलोमीटर) के शेष क्षेत्र से चायल वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, शेष 16.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से चायल वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं ।

चायल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	चायल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	चायल	i) सोलन व शिमला ii) शिमला (वन्य जीव) मण्डल	उत्तर: उत्तरी सीमा बीनू आरक्षित वन/23 के सीमा स्तम्भ संख्या 22 से आरम्भ हो कर दांये मुड़ते हुए वन सीमा स्तम्भ नम्बर 21 के साथ-साथ बिन्दु 1955 मीटर व 2139 मीटर जोकि शिमला और सोलन जिला सीमा तथा शिमला व सोलन वन मण्डल सीमा पर स्थित है फिर इसी जिला व वन मण्डल सीमा के साथ-साथ सकौड़ी आरक्षित वन/24 से होते हुए सीमा स्तम्भ नम्बर 53, 52, 51, 50, 49 फिर दाईं तरफ छोटे नाले के साथ ऊपर की तरफ सड़क तक फिर सड़क पार कर के बिन्दु 2230 मीटर के पास कई सड़को के मिलान बिन्दु से होती हुई सड़क के साथ-साथ एम.ई. एस के विश्राम गृह तक फिर छोटी धार के साथ-साथ नीचे की तरफ भौजदीन आरक्षित वन/25 के सीमा स्तम्भ संख्या 4,5,6,7 व 8 होती हुई फिर नीचे छोटा नाला एवं दितक गांव की बाहरी सीमा होती हुई मलान

शील संरक्षित वन/89 के सीमा स्तम्भ संख्या 4 से सीमा स्तम्भ संख्या 3 तक ।

**पूर्व:** मलान शील संरक्षित वन/89 के सीमा स्तम्भ 3 से सीमा स्तम्भ संख्या 2, 1बी, 1ए और 1 होती हुई जिला एवं वन मण्डल सीमा के साथ-साथ बाईं तरफ मुड़ते हुए भौजदीन संरक्षित वन/89 के सीमा स्तम्भ संख्या 5 से 32 के साथ-साथ फिर एक छोटे नाले के साथ-साथ जोकि बिन्दु 2061 से बहता है सड़क तक फिर सड़क के साथ-साथ भौजदीन आरक्षित वन/25 के सीमा स्तम्भ संख्या 29 से फिर सीमा स्तम्भ संख्या 30 से होती हुई 36 तक ।

**दक्षिण :** भौजदीन आरक्षित-वन/25 के सीमा स्तम्भ 36 से सीमा स्तम्भ 37 से 46 होती हुई बिन्दु 2176 मीटर तक फिर हिन्नर पौधरोपण क्षेत्र के साथ-साथ से बाएं मुड़ते हुए छोटा नाला के साथ हिन्नर और करोग गांव वाले रास्ते की मिलान बिन्दू से होते हुए फिर उसी रास्ते के साथ-साथ बाएं मुड़ कर झांजा खड़यून संरक्षित वन/88 के सीमा स्तम्भ संख्या 17 से होते हुए फिर बाएं मुड़ कर सीमा स्तम्भ संख्या 17 और 16 के बीच से बिन्दु 1700 मीटर से आगे कन्दूर 1700 मीटर के साथ-साथ नाला जोकि झांजा खड़यून संरक्षित वन/88 सीमा स्तम्भ संख्या 6 से निकलता है फिर उसी नाले के साथ-साथ सीमा स्तम्भ 6 तक ।

**पश्चिम:** सीमा स्तम्भ 6 से आगे 5,4,3,2 से होती हुई सीमा स्तम्भ संख्या 1 से पहले सड़क तक फिर इसी सड़क के साथ-साथ खड़यून आरक्षित वन/21 के सीमा स्तम्भ 3 फिर छोटे नाले में नीचे की तरफ मुख्य नाले के मिलान बिन्दु काहला गांव के नीचे तक फिर उसी नाले के साथ-साथ ऊपर की तरफ सीमा स्तम्भ संख्या 30 के पास नाले के उद्गम स्थल तक इसके बाद आगे सीमा स्तम्भ संख्या 24 से 1 आरक्षित वन/24 से सकौड़ी होती हुई बिन्दू आरक्षित वन/23 के सीमा स्तम्भ संख्या 13 से आगे सीमा स्तम्भ बिना नम्बर एवं सीमा स्तम्भ संख्या 56,54,53 से आगे बिन्दू आरक्षित वन/23 के सीमा स्तम्भ संख्या 22 तक ।

सीमा पैमाना 1:15,000 के अनुसार

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 31° 00' 15" उत्तर और देशान्तर 77° 11' 45" पूर्व । पूर्व अक्षांश 30° 57' 45" उत्तर और देशान्तर 77° 14' 21" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 30° 55' 44" उत्तर और देशान्तर 77° 12' 15" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 30° 57' 28" उत्तर और देशान्तर 77° 09' 47" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53एफ/1 व 53ई/4 (पैमाना 1:50,000) और 53एफ/1/उत्तर पूर्व और 53ई/4/दक्षिण पूर्व, (पैमाना 1:15,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल: 16.00 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

गांव की सूची जो चायल अभ्यारण्य से बाहर किये जाने हैं ।

क्रम संख्या	गांव का नाम
1	कोटला
2	कमाली
3	चाम्बी
4	मलानशील
5	देहरादूहाई
6	फनियोटी
7	परथाना
8	शिलारी
9	लखोटी
10	नाँन
11	डूबलू
12	बलोग
13	निहारा
14	धार-की-सेर
15	थरोला
16	बिन्नु
17	निरुध
18	शिलाई
19	आंजी
20	किन्ना
21	धरोटी
22	बांजणी
23	सकौड़ी
24	भढ़ेच
25	डूनु
26	डून्टी
27	सोनाघाट
28	चोकी
29	पुजारली
30	शिलडू
31	धरया
32	दोची

33	पोआश
34	चोहड़ा
35	आंजी-II
36	केडला
37	गरेन
38	घेन्टी
39	तैतू
40	झाजा
41	खेरोयां
42	चबरी
43	करो
44	कोहला
45	शकोग
46	महोग
47	काथला
48	कोट
49	नेहार
50	चायल, बाजार (चक)
51	नगाली
52	झड़याल
53	जेठना
54	बधेट
55	टिक्कर
56	बगेड़
57	घेवा
58	मौरी
59	कानो
60	हुक्कल
61	मिहानी
62	सिआऊ
63	दनजील
64	जखेढ
65	दनधार
66	बखोर
67	बनैर
68	काटल
69	भूयिरा
70	खरांजी

70	खरांजी
71	चौब
72	खरोग
73	नौहरा
74	कुरगल
75	टकराणा
76	डैहर
77	नौग
78	गौड़ा
79	रेहढ
80	चगांव
81	हिन्नर
82	कनोढी
83	दुनांजी
84	टिवकरी